राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)

E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com website: www. rlsa.gov.in

क्रमांकः– F-3(93)/RSLSA/DS-II/JJB Panel Adv. 362 दिनांक :– 30.6.20

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 543A, 543B, 543C दिनांक 30.09.2019, एवं 596 दिनांक 02.11.2019 के द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 में संशोधित अधिसूचना (F.No. L/61/10/NALSA dated 22.10.2018) विनियम, 2018 के विनियम 8 के खंड 7 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पोक्सो न्यायालय हेतु बालकों के लिए 108 न्यायमित्र दिनांक 31.03.2020 तक नियुक्त किये गये थे। जिनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है।

अतः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पोक्सो न्यायालय हेतु निम्नांकित पैनल अधिवक्तागण को उनकी कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बालकों हेतु न्यायमित्र के रूप में चयन कर इनका कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त जे.जे.बी. पैनल से पृथक किए गए अधिवक्तागण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु गठित पैनल अधिवक्तागण के पैनल में बने रहेंगे साथ ही यदि जिला न्यायक्षेत्र के जे.जे.बी. प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्तागण की संख्या बढ़ाने हेतु रालसा को निवेदन कर सकते हैं, तथा जे.जे.बी प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे की जे.जे.बी. में मनोनीत पैनल अधिवक्तागण जे.जे.बी. में पूर्ण अवधि के लिए नियमित रूप से जे.जे.बी. में लम्बित सभी जांचों में व अन्यथा संस्थित होने वाले मामलों में पैरवी करें।

S. No.	Name of the District	Pendency of Inquires on last date of the quarter 31.3.20	Total Days of Sitting	JJB Panel Lawyers Name
1	Rajasmand	49	One Day	Mr. Narendera Kumar Paliwal
2	Sirohi	49	One Day	Ms. Minakshi Gautam

3	Pratapgarh	68	Two Days	Mr. Ramesh Chandra Sharma
4	Jalore	84	One Day	Mr. Jagdish Godara
5	Jaisalmer	107	One Day	Mr. Giriraj Purohit
6	Banswara	115	Two Days	Mr. Umesh Dosi
7	Karauli	119	Two Days	Mr. Piyush Kumar Sharma
8	Tonk	120	One Day	Mr. Ajay Singh Solanki
9	Dungarpur	134	Two Days	Mr. Maganlal Parmar
10	Churu	160	Two Days	Mr. Sanjeev Kumar Verma Mr. Akhtar Rasul
11	Jhunjhunu	160	Two Days	Mr. Babulal Saini Mr. Dheeraj Kumar Boyal
12	Hanumangarh	177	Two Days	Mr. Amit Madan Mr. Ramnath Bhati
13	Merta	179	Two Days	Mr. Omprakash Purohit Mr. Jagdish Singh
14	Sawai Madhopur	179	One Day	Mr. Hari Mohan Jat Mr. Hanuman Parasad Gurjar
15	Sikar	188	Two Days	Mr. Rajendra Prasad Jangid Mr. Mahesh Kumar Patel
16	Ajmer	203	Two Days	Mr. S.K. Goyal Mrs. Meenu Ag arwal
17	Bundi	207	Two Days	Mr. Amar Singh Rathore Mr. Shifa Ul Hq
18	Dholpur	207	Two Days	Mr. Sarversh Mishra Mr. Ramavtar
19	Pali	210	Two Days	Mr. Sudheer Kankani Mr. Khumaram Parihar
20	Jhalawar	212	Two Days	Mr. Ramesh Chand Kashyap Mr. Bhupendra Shekhawat
21	Dausa	221	Two Days	Mr. Jitendra Kumar Mudgal Mr. Roopnarayan Meena
22	Bhilwara	222	Two Days	Mr. Rakesh Tripathi
23	Ganganagar	223	Two Days	Mr. Anil Kumar Vishnoi Mr. Subhash Kumar
24	Chittorgarh	227	Two Days	Mr. Rajendra Singh Rathore Mrs. Seema Bharti Goswami

25	Kota	232	Two Days	Mr. Brajesh Joshi Mr. Mahendra Singh hada
26	Baran	253	Two Days	Mr. Kamlesh Dube Mr. Balmukund Gurjar
27	Bikaner	253	Two Days	Mr. Manoj Kumar Janagal
28	Jodhpur Metro	307	Two Days	Mr. Virendra Kumbhat Mrs. Manju Chaudhary Mrs. Aasmin Bano
29	Balotra	327	Two Days	Mr. Shrawan Kumar Chaudhary Mr. Pratap Singh Rathore
30	Udaipur	449	Two Days	Mr. Sandeep Dhadhich
31	Alwar	457	Six Days	Mr. Mukesh Gaud Mr. Chandra Shekhar Sharma Mr. Ravindra Singh Saini Mr. Pankaj Yadav
32	Jaipur District	492	Six Days	Mr. Ganesh Narayan Joshi Mr. Viliyam Pathak Mr. Rakesh Kumar Verma Ms. Prabha Agarwal
33	Bharatpur	528	Six Days	Mr. Ripudaman Singh Mr. Mahesh Chand Sogarwal
34	Jaipur Merto	759	Six Days	Ms. Bindu Verma Mr. Naimuddin Aakil Mr. Mahendra Kumar Bunkar Mr. Vinod Kumar
TOTAL		**7877**		**63**

शर्ते :–

1. जहाँ जे.जे.बी में 150 से कम मामले हैं व जे.जे.बी. की बैठक सप्ताह में एक दिन की है वहां 1500/– रूपए प्रतिदिन प्रति अधिवक्ता मानदेय दिया जावेगा।
2. ऐसे जिले जिनमें जे.जे.बी. की बैठक सप्ताह में 06 दिन की है इसीलिए 15000/–रूपए प्रतिमाह प्रति अधिवक्ता को मानदेय दिया जावेगा। यदि कोई अधिवक्ता उक्त बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके मानदेय का निर्धारण अवकाश के दिनों को घटाते हुए आनुपातिक रूप से किया जावेगा। अधिवक्ताओं के मध्य कुल लम्बित जांचों को समान रूप से आवंटित किया जावेगा, ताकि अधिवक्ताओं के मध्य कार्य का विभाजन समान रूप से हो सके।
3. इसी तरह जिन जिलों में 150 से अधिक मामले, परन्तु 450 से कम है व जे.जे.बी. की बैठक सप्ताह में दो दिन की है वहाँ 1500/–रूपए प्रतिदिन प्रति अधिवक्ता के

मानदेय दिया जावेगा। अधिवक्ताओं के मध्य कुल लम्बित जांचों को समान रूप से आवंटित किया जावेगा, ताकि अधिवक्ताओं के मध्य कार्य का विभाजन समान रूप से हो सके।

4. प्रत्येक जिले में स्थित जे.जे.बी. में लम्बित वर्तमान प्रकरणों को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक सप्ताह के भीतर जे.जे.बी. के प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट से सलाह कर उक्त पैनल में विभाजित करेगा। उक्त विभाजन के पश्चात् जो केस जिस अधिवक्ता को आवंटित होगा वह उसके निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के अधीन विधि से संघर्षरत बालक (CCL)/पीडित की पैरवी करेगा, परन्तु वह किसी भी सी.सी.एल. /पीडित या उसके संबंधी से किसी प्रकरण का प्रतिकर/फीस/अन्य सामान प्राप्त नहीं करेगा।

5. उपरोक्त भुगतान के अतिरिक्त प्रत्येक पैनल अधिवक्ता को 1000/– रूपए प्रत्येक मामले में वाद खर्च के रूप में का भुगतान किया जावेगा। जब भी कोई नया केस दर्ज होता है तब प्रारंभिक अवस्था से निर्णय तक कार्यवाही करने हेतु मामला अधिवक्तागण को सूचीनुसार क्रमिक रूप से आवंटित किया जावेगा। उक्त पैनलित अधिवक्तागण को पोक्सो न्यायालय में भी सेवा देने हेतु अनुरोध किया जा सकता है। जिसे वे इन्कार नहीं कर सकते। यदि पैनल अधिवक्ता पोक्सो न्यायालय के समक्ष सक्रिय रूप से कार्यवाही करता है और उसकी उपस्थिति संबंधित न्यायालय द्वारा प्रमाणित की जाती है तो शिकायतकर्ता या पीडिता के परीक्षण के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए प्रति केस 1500/– रूपए मानदेय दिया जावेगा।

6. पोक्सो न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरणों में पीडिता व शिकायतकर्ता के परीक्षण के दौरान सहायतार्थ पैनल अधिवक्तागण की नियुक्ति संबंधित न्यायालय के समक्ष अनुरोध पर अथवा पीडिता या उसके संबंधी द्वारा आवेदन पेश करने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जावेगी।

7. बाल कल्याण समिति द्वारा या उसके समक्ष किसी प्रकरण में सुनवाई पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उक्त में से किसी भी अधिवक्ता को सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त किसी दिन पैरवी होने पर उपरोक्त अनुसार मानदेय के अधिकारी होंगे।

8. किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति व पोक्सो न्यायालय हेतु पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999, नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) नालसा, विधिक सेवा क्लिनिक स्कीम 2010 का एवं अन्य निर्देश जो कि समय–समय पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए जावें उनका पालन करेंगे।

9. पैनलित किए गए अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक एवं उनके माता–पिता को विधिक प्रक्रिया से पूर्णतः अवगत करवा दिया गया है साथ ही वे प्रकरण की सुनवाई से पहले प्रकरण पर चर्चा करने के लिए विधिक सहायता प्रदान किए गए पक्षकार को पर्याप्त समय देंगे।

10. जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के लिए पैनल अधिवक्ता बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और किसी भी मामले में उपेक्षा पूर्वक कार्य नहीं करेंगे साथ ही अपनी

तरफ से बालक के सर्वोत्तम हित व उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे।

11. किशोर न्याय बोर्ड के लिए पैनलित अधिवक्ता किशोर न्याय विधि पर अच्छी समझ विकसित करेंगे और किशोर न्याय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला व प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
12. किशोर न्याय बोर्ड हेतु पैनलित अधिवक्ता यदि किसी भी दिन अवकाश पर है अथवा किसी कारणवश बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह जे.जे.बी. एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्व में सूचित करेगा, ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसे आवंटित मामले में अन्य अधिवक्ता को पैरवी करने हेतु संसूचित किया जा सके।
13. किशोर न्याय बोर्ड के लिए पैनलित अधिवक्ता बालकों एवं उनके परिवार में विधि एवं न्याय के प्रति विश्वास जागृत करेंगे और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
14. पैनलित अधिवक्तागण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आगामी माह के प्रथम सप्ताह में विगत माह में निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे साथ ही मामले की प्रगति से संबंधित बालक एवं उसके परिजनों को समय–समय पर अवगत कराएंगे। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना पैनल से हटाए जाने का एक आधार होगा।
15. किशोर न्याय बोर्ड हेतु पैनलित अधिवक्तागण का चयन उनकी स्वयं की इच्छा से किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति व पोक्सो न्यायालय के समक्ष लाए जाने वाले बालकों के अधिकारों के संरक्षण व उनके कल्याण के उद्देश्य से किया गया है। पैनलित अधिवक्तागण प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रमों प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों में नामित किए जाने पर भाग लेंगे, ताकि अधिवक्ताओं के कौशल व ज्ञान में वृद्धि हो सके और उन्हें कानूनी सेवा के कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया जा सके और उनकी विधिक जानकारी को अद्यतन बनाया जा सके।
16. किशोर न्याय बोर्ड हेतु पैनलित अधिवक्ता का विधिक सेवा लाभार्थी के प्रति यह कर्तव्य है कि वे पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करें। अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षावान रवैया प्रकरण की पैरवी से हटाए जाने सहित पैनल से हटाने के लिए भी एक युक्तियुक्त आधार होगा।
17. नैतिक आचरण और नैतिकता का पालन– पैनल अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वे कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले बालकों से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखेंगे। पैनलित अधिवक्तागण कार्य अनुसार संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नियत मानदेय प्राप्त करने के हकदार होंगे, लेकिन वे किसी भी कानूनी सेवा प्राप्तकर्ता से किसी भी तरह का पारिश्रमिक, शुल्क, लाभ व नकद राशि अथवा उपहार लेने व प्राप्त करने के हकदार नहीं है। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राधिकरण के संज्ञान में आती है अथवा उल्लंघन जाता है तो वे पैनल से हटाए जाने सहित बार काउंसिल को सूचित करने व अन्य विधिक कार्यवाही के दायी होंगे।

18. पैनल से निष्कासन– यदि अधिवक्ता का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है या किसी भी रूप में कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले या उसके संबंधी से किसी भी पारिश्रमिक मांग करता है अथवा लेता है आरोप में दोषी पाया जाता है तो रालसा के अधिनियम, नियम व विनियमों के अनुसार उसे पैनल से हटाया जा सकता है और वह वृत्तिक कदाचार (Professional Misconduct) की कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।
19. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नियम, विनियम और अन्य विधिक सहायता योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं के कर्तव्य के दायरे को बढ़ाने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।
20. यदि कोई पैनल अधिवक्ता उक्त शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु तैयार नहीं है तो उसे उक्त पैनल से हटाने का प्रस्ताव भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित करेगा।

नोट– यह विधिक सहायता प्रत्येक प्रकरण में जे.जे.बी. के समक्ष संस्थित हो रहा है, उसमें प्रदान की जा रही है, परन्तु यदि कोई विधि से संघर्षरत बालक/पीडित (पोक्सो विशेष न्यायालय के समक्ष) अपना स्वयं का अन्य अधिवक्ता नियुक्त कराना चाहे तो वह स्वतंत्र होगा, परन्तु उस स्थिति में भी यह बाल न्यायमित्र (यदि प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया गया है तो) उपस्थित होगा।

आज्ञा से

—sd—

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः– **F-3(93)/RSLSA/DS-II/JJB Panel Adv.** 14656 – 14725 दिनांकः– 30.6.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, समस्त राजस्थान।
2. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग।
3. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, समस्त राजस्थान।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति विशेष न्यायालय (POCSO Cases) को भी उपलब्ध करावें।
5. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
6. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

उप सचिव–प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर